पूर्वोत्तर रेलवे

368

1/141/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0एन0--50-22
कमांक--141 /2017
सं0 का/310/1/भाग-सात/चार
सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

दिनांक 19-07-2017

विषय:--कर्मचारी हित निधि (एस.बी.एफ) के अन्तर्गत आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक डिस्पेंसरियाँ।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या ई(डब्ल्यू)2016/आईएसएम/9 दिनांक 07.07.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

19.07.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर -- 40 प्रतियों में।
2-- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर -- 02 प्रतियों में।
3-- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर -- 02 प्रतियों में।
4-- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर -- 01 प्रति में।
5-- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0--02 प्रतियों में।
6-- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु -- 01 प्रति में।

19.07.17

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

80/C

RBE No.65/2017

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. E(W)2016/ISM/9 New Delhi, dated 07-07-2017

The General Managers
All Indians Railways and
Production Units.

Sub:- Ayurvedic/Homoepathic dispensaries under Staff Benefit Fund (SBF).

Ref:- This Ministry's letters No.E(W)2013/ISM/I dated 23.07.2014 and 18.05.2015.

The issue regarding enhancement in the amount of honorarium admissible to the Ayurvedic/Homeopathic Consultants (engaged by SBF Committees on contract basis) and also the subsidy on medicines in respect of Ayurvedic/Homeopathic dispensaries being run under the SBF was under consideration of this office.

2. The matter has been examined in the detail and it has now been decided that revised monthly honorarium for Ayurvedic/ Homeopathic Consultants and monthly subsidy on medicine on the Ayurvedic/ Homeopathic dispensaries being run by the Staff Benefit Fund Committee will be as follows:-

	Revised monthly honorarium	
	8 hrs. duration	4 hrs. duration
(a) **Ayurvedic/Homeopathic Consultants:**	₹ 35,500/-	₹ 22,500/-
(b) **Monthly Subsidy on Medicines:**	₹ 12,000/-	

3. Revised honorarium for Ayurvedic/Homeopathic Dispensers will be issued separately

4. Annual allotment for "Indigenous Systems of Medicine" under SBF (under which Homeopathic and Ayurvedic dispensaries function) at ₹ 36 per capita being inadequate to meet the increase in requirement of funds on account of the above revision in the honorarium, the additional expenditure necessitated due to revision under these orders would also be met through re-appropriation from the head "Medical Services" as additional ad hoc contribution to the SBF, and the Medical Budget would be suitably augmented from Revenues. CPOs would advise CMD s about the additional funds required on this account so that the same could be reflected in the budgetary estimates.

----2/-

5. These aforesaid revision will take effect from the date of issue of these orders.

6. This issues in consultation with the Health Directorate and with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railway.

(Sunil Kumar)
Director Estt.(Welfare)
Railway Board

No. E(W)2016/ISM/9

New Delhi, dated 07-07-2017

Copy for information and necessary action to :

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan , New Delhi(with 40 spares).

For Financial Commissioner/Railways

1. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi. (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares)
3. The Members of the National Council, Department Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C Feroze Shah Road, New Delhi (with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares)
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association, Room No.402, Rail Bhawan.
6. The Secretary, RBSS, Group 'B' Officers Association.
7. The General Secretary, RBSSA, Room No.439, Rail Bhawan, New Delhi (with 5 spares)
8. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares)
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi.(5 spares)
12. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan New Delhi.
13. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi.
14. The General Secretary, All India O.B.C.Railway Employees Association, Room No. 48, Rail Bhavan, New Delhi.

for Secretary/Railway Board

------3/-

(4/141/2017)

आरबीई सं.65/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. ई(डब्ल्यू)2016/आईएसएम/9

नई दिल्ली, दिनांक 07.07.2017

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें एवं

उत्पादन इकाइयां

विषय: कर्मचारी हित निधि (एसबीएफ) के अंतर्गत आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां।

संदर्भ: इस मंत्रालय के दिनांक 23.07.2014 और 18.05.2015 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2013/आईएसएम/1.

आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सकों (संविदा आधार पर एसबीएफ समिति द्वारा नियुक्त) को देय मानदेय की राशि बढ़ाने और कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत चलाए जा रहे आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक डिसपेंसरियों के संबंध में औषधियों पर सब्सिडी देने से संबंधित मामले पर भी इस कार्यालय में विचार किया गया है।

2. इस मामले की विस्तार से जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि आयुर्वेदिक/होम्योमैथिक चिकित्सकों का संशोधित मासिक मानदेय और कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा चलाए जा रहे आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक डिस्पैंसरियों की औषधियों पर मासिक सब्सिडी निम्नानुसार होगी:

		संशोधित मासिक मानदेय	
		8 घंटे की अवधि	4 घंटे की अवधि
(क)	आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सक	₹ 35,500/-	22,500/-
(ख)	औषधियों पर मासिक सब्सिडी	₹ 12,000/-	

3. आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषध वितरकों के लिए संशोधित मानदेय अलग-अलग जारी किए जाएंगे।

4. कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत "औषधि की स्वदेशी प्रणाली" (जिसके अंतर्गत होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां कार्य करती हैं) के लिए प्रति व्यक्ति ₹ 36/- का वार्षिक आबंटन मानदेय में उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप अपेक्षित निधि में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होने के कारण इन आदेशों के अंतर्गत किए गए संशोधन के कारण आवश्यक अतिरिक्त व्यय को भी कर्मचारी हित निधि के लिए अतिरिक्त तदर्थ अंशदान के रूप में "चिकित्सा सेवा" शीर्ष से पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरा किया जाएगा और राजस्व से चिकित्सा बजट में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जाएगी। मुख्य कार्मिक अधिकारी इस संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि के बारे में मुख्य चिकित्सा निदेशकों को सूचित करेंगे ताकि उसे बजटीय अनुमान में दर्शाया जा सके।

5. उपर्युक्त संशोधन इन आदेशों के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

5. इन आदेशों को रेल मंत्रालय के स्वास्थ्य निदेशालय से परामर्श करके और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(सुनील कुमार)
निदेशक स्थापना(कल्याण)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई(डब्ल्यू) 2016/आईएसएम/9 नई दिल्ली, दिनांक07.07.2017

सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(डब्ल्यू)2016/आईएसएम/9 नई दिल्ली, दिनांक07.07.2017

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13.सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली, (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन.
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन.
7. जनरल सेक्रेटरी, आरबीएसएसए, कमरा नं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
8. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
9. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीय स्टाफ एसोसिएशन.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास IV स्टाफ एसोसिएशन.
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
12. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया एससी/एसटी रेल इम्प्लाइज एसोसिएशन, कमरा नं. 7, भवन, रेल भवन, नई दिल्ली.